

# अनुमंडल दण्डाधिकारी, धनबाद

एम० पी० केश नं० ..... ६३९/२०१७

धारा 107 द.प्र.स.

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पत्र पर की गई कारवाही
<p>श्रीतारामजी बानाम श्री वकील मंडल</p>	<p>१५/१७</p>
<p>..... गोविन्दपुरा ..... थाना अप्राथमिकी सं० २४/१७</p>	<p>१२/५/१७</p>
<p>प्राप्त हुआ। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जाँच पदाधिकारी</p>	<p>२६/५/१७</p>
<p>स० अ०नि०/अ०नि० गोविन्दपुरा ..... ने जाँच कर अपना</p>	<p>६/६/१७</p>
<p>प्रतिवेदन थाना प्रभारी गोविन्दपुरा ..... थाना एवं</p>	<p>१६/६/१७</p>
<p>अ० निरी० गोविन्दपुरा ..... ने अग्रसारित किया</p>	<p>०१/७/१७</p>
<p>है जिसमें उल्लेख है कि उभय पक्षों की बीच</p>	<p>१३/७/१७</p>
<p>.....</p>	<p>२४/७/१७</p>
<p>जमान विवाह का ..... लेकर</p>	<p>१५/८/१७</p>
<p>तनाव है। उभय पक्ष कानून को अपने हाथों में लेकर स्थानीय परिशांति</p>	<p>३१/८/१७</p>
<p>भंग करने पर तुले हुए तथा एक दूसरे के जान-माल पर खतरा पहुँचा</p>	<p>१२/९/१७</p>
<p>सकते हैं। प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि पक्षों के बीच गंभीर तनाव</p>	<p>२५/९/१७</p>
<p>व्याप्त है तथा इनके कार्यों से कभी भी लोक परिशांति भंग हो सकती</p>	<p>१०/१०/१७</p>
<p>है। पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर मैं उभय पक्षों के विरुद्ध धारा 107</p>	<p>२५/१०/१७</p>
<p>द०प्र०सं० की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए उभय पक्षों को निर्देश देता हूँ</p>	<p>७/११/१७</p>
<p>कि वे मेरे न्यायालय में दिनांक २२.५.१७ को 10.30 बजे</p>	<p>२२/११/१७</p>
<p>पूर्वाह्न उपस्थित होकर अपना कारण पृच्छा दाखिल करें कि क्यों नहीं</p>	<p>६/१२/१७</p>
<p>लोक परिशांति बनाये रखने के लिए आपके र 5000.00 रु० का दो</p>	<p>२१/१२/१७</p>
<p>समप्रतिभुतियों के साथ बन्धपत्र लिया जाय।</p>	<p>८/०१/१८</p>
<p>लेखापित एवं संशोधित</p>	<p>२५/०१/१८</p>
<p>.....</p>	<p>७.१-१८</p>
<p>.....</p>	<p>१०/२/१८</p>
<p>.....</p>	<p>समाप्त</p>

अनुमंडल दण्डाधिकारी  
धनबाद

अनुमंडल दण्डाधिकारी  
धनबाद

न्यायालय रेणु कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी, धनबाद।  
राष्ट्रीय लोक अदालत, धनबाद


एम.पी. वाद संख्या:- 579/13

धनबाद-107508

10.02.2018

वाद अभिलेख को राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया।  
वाद अभिलेख का अवलोकन किया गया। वाद अभिलेख के अवलोकन  
से स्पष्ट होता है कि उभयपक्ष कई तिथियों से लगातार अनुपस्थित है तथा  
उभयपक्ष को वाद की कार्यवाही में कोई अभिरूची प्रतित नहीं होता है। ऐसा  
प्रतित होता है कि दोनों पक्षों के बीच अशांति व्याप्त नहीं है। वाद की  
कार्यवाही कालबाधित हो चुका है।

अतः कार्यहित एवं न्यायहित के आलोक में इस वाद की कार्यवाही  
समाप्त की जाती है।

  
राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु प्राधिकृत  
पीठासीन पदाधिकारी, धनबाद